

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बनाम गौरीनाथ (वर्ग 1)

क्रिम मुकदमा - प्रार्थनापत्र 111-122 नं. 31 म-2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इतिहासकृत जज	न्याय व न्यायिक प्रकाम या इस हुकम की न्यायिक व जारी हुए
3-6-20	<p>वाद / प्रार्थनापत्र वाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जाये। पत्रावली दिनांक 14-7-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>उपपक्ष उपस्थित की प्रतीति / पदरिक्त है। कार्य पेश है। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो।</p> <p>1470</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
11-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25-8-20</p> <p>उपपक्ष उपस्थित की प्रतीति / पदरिक्त है। कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
5-9-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, अप्राधी गण के सम्मन बाद तामिल लेबर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्राधी गण को कितकी भर्तवा आवाजे फिलार्सी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश किये जाते हैं। वकील प्रार्थना ने बहस करनी चाही।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही नय इनिशयल्ल जज

वकील माथी की बयत हुनी गयी वकील माथी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय
द्वारा से लिखा जाकर शामिल पत्रावली सिद्ध
गया। पत्रावली के सब अमार लोक नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

तसीन अधिकारी-गहीपाल सिंह, आर.ए.एस.

दमा संख्या - 91/20 प्रा.पत्र

श्री ताकतु 10 श्री खरवावर खत्याई निवासी माण्डल तहसील माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री गोविंदराम जी श्री बीसु खारोत निवासी खारोत बरनी तालाब के पास माण्डल तहसील माण्डल (मुरवांकि प्रा.पत्र संलग्न है)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... माण्डल... पटवार हल्का... माण्डल... तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं.: 1529/07... कुल किता... 01... रकवा... 1.6... विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह ही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.06.20 को पंजीयत किया जाकर केरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ग्रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... माण्डल... पटवार हल्का... माण्डल... तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1529/07... कुल किता... 01... रकवा... 1.6... विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक... 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कच्चे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा